भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/04/03/2015/एफ.सी./1750

दिनाँक: 17.03.2015

सेवा में,
प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : प्रतापगढ़ वन प्रभाग के अन्तर्गत 132 के0वी0 डी0/सी0 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 2.416 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ– मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, राजस्थान का पत्रांक–एफ 14(टी/एल)2014/एफसीए/प्रमुवसं, दिनांक– 11.03.2015

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 27.02.20215 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत की गयी अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार प्रतापगढ़ वन प्रभाग के अन्तर्गत 132 के0वी0 डी0/सी0 पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 2.416 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर अर्थात 4.832 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु रूपये–6,26,000/– (उप वन संरक्षक द्वारा की गयी गणना के अनुसार) जमा की जाएगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि अर्थात् रूपये–6,26,000/– प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रूपये–15,12,416/– (उप वन संरक्षक द्वारा की गयी गणना के अनुसार) जमा की जायेगी।

4. उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या– **037100101025225, आई0एफ0एस0 कोड–CORP0000371**, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), नई दिल्ली, लोधी काम्पलेक्स, मे जमा की जाएगी।

5. राज्य सरकार द्वारा प्रकरण में यदि किसी अन्य मद में धनराशि जमा किये जाने की शर्त लगायी जाती है तो उक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती (रसीद) की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित की जाए एवं मद्वार जमा की गयी धनराशि का विवरण (एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशियों का विवरण) तथा जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम, शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत की जाएगी तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा तब तक नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय,

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन भवन, वानिकी पथ,जयपुर, राजस्थान
3. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़, राजस्थान।
4. उप महाप्रबन्धक, सी–11, सेक्टर–65, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
5. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
6. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)